Dr. S. S. Pandey

The Transgender Persons (Protection of Rights) Act - 2019

1

प्रमुख प्रावधान

2

1. ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के अनुसार- वह व्यक्ति ट्रांसजेंडर कहलाएगा, जिसका लिंग, जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता और इसके अंतर्गत उभय-पुरुष / Transmen या उभय स्त्री / Transwomen (इसमें परिवर्तित लिंग वाले व्यक्ति भी शामिल हैं),

3

अंत:लिंग भिन्नताओं वाले व्यक्ति, Genderqueer और किन्नर, हिजड़ा, अरावाणी एवं जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं। (धारा-2)

4

2. ट्रांसजेंडर को स्वयं अनुभव की गयी लिंग पहचान का अधिकार (धारा-4)
3. ट्रांसजेंडर को अपनी पहचान हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार (जिला मजिस्ट्रेट द्वारा) (धारा-6)

5

4. ट्रांसजेंडर को शैक्षिक संस्थाओं, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा में अनुचित व्यवहार; सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच अथवा उनका उपभोग; कहीं भी निवास करने तथा संपत्ति का उपभोग; किसी सरकारी या निजी पद के लिए खड़े होने या उसे धारण करने के लिए या अनुचित व्यवहार का निषेध का प्रावधान (धारा-3)

6

5. सरकार या निजी संस्था, रोजगार के मामलों के साथ-साथ पदोन्नति आदि में भी भेदभाव नहीं करेगी (धारा-9) और इनकी प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने तथा समाज में उन्हें समावेशित करने के लिए कदम उठायेंगी (धारा-10)

7

6. सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त संस्था, ट्रांसजेंडर को शिक्षा, खेल तथा मनोरंजन की सुविधाएँ बिना भेदभाव के प्रदान करेगी (धारा-13)
7. सरकार द्वारा ऐसी कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का निर्माण किया जायेगा जो ट्रांसजेंडर संवेदनशील तथा गैर विभेदकारी हो (धारा-8)

8

8. सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जीविकोपार्जन को सुगम बनाने और उसमें सहायता करने के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तथा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत वृत्तिक प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार भी है, तैयार करेगी (धारा-14)

9

9. ट्रांसजेंडर व्यक्ति को बंधुआ मजदूर या भीख माँगने पर मजबूर करने, किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने में बाधा तथा उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करने या उन्हें उनके घरों या गाँव से जबरन निकालने के दोषी पाये जाने वाले को 6 माह से 2 वर्ष तक कैद तथा जुर्माना का प्रावधान (धारा-18)

10

10. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सलाह देने, उनकी देख-रेख करने और मूल्यांकन उपायों के लिए 'राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद्' (NCT) के गठन का प्रावधान (धारा-16) तथा सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में इनके लिए 'शिकायत निवारण तंत्र' स्थापित करने का प्रावधान (धारा-11)

The Transgender Persons (Protection of Rights) Rules – 2020

11

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020, उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं, जिसके जरिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के लिए आवेदन कर सकते हैं और यह नियम उन्हें सर्टिफिकेट जारी होने के तरीके के बारे में भी बताते हैं

12

सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता देता है और इसको जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाएगा।

13

सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के आवेदन में, आवेदक को निम्न कागजात जमा करना होगा–

1. आवेदन का फॉर्म
2. एक एफिडेविट, जिसमें उन्हें ट्रांसजेंडर होने की घोषणा करनी होगी
3. सरकारी अस्पताल के साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट

14

जिला मजिस्ट्रेट सिर्फ ऐसे आवेदक को सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, जो कि आवेदन की तारीख से एक वर्ष के लिए, उसके क्षेत्राधिकार में रह रहा हो

15

आलोचना

16

1. इस अधिनियम में, ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो NALSA मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत है
2. ट्रांसजेंडर को, ट्रांसजेंडर के लिए DM से प्रमाणपत्र प्राप्त करना, फिर लिंग परिवर्तन के बाद पुनः प्रमाणपत्र प्राप्त करना, इस प्रक्रिया को जटिल व बोझिल बना देता है

17

3. किसी व्यक्ति द्वारा ट्रांसजेंडर के साथ बलात्कार करने पर मात्र 2 वर्ष कैद का प्रावधान भेदभावपूर्ण है (क्योंकि IPC के तहत् किसी व्यक्ति द्वारा किसी के साथ रेप करने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है)
4. कुछ किन्नरों के संगठनों की आलोचना है कि, ट्रांसजेंडर की परिभाषा में इनके रहन-सहन के तरीकों को शामिल नहीं किया गया है

18

5. Transgender Persons Act, 2019 निर्दिष्ट करता है कि, लोगों को अपने जेंडर की पहचान स्वयं करने का अधिकार है और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, किसी व्यक्ति की खुद की पहचान को राज्य द्वारा मान्यता देता है।

यह अस्पष्ट है कि, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के आवेदन में साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट को Transgender Persons Rules-2020 में जरूरी क्यों बनाया गया है

19

6. Rules - 2020 में, यह अपेक्षा की गई है कि रिपोर्ट सरकारी अस्पताल के साइकोलॉजिस्ट की होनी चाहिए

देश में साइकोलॉजिस्ट्स की कमी के कारण, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, आवेदन करते समय साइकोलॉजिस्ट्स की रिपोर्ट हासिल करना मुश्किल होगा

20

21

7. *Rules - 2020* कहता है कि, जिला मजिस्ट्रेट सिर्फ ऐसे आवेदक को सर्टिफिकेट जारी करेगा, जो कि आवेदन की तारीख से एक वर्ष पहले से उसके क्षेत्राधिकार में रह रहा हो

इस प्रावधान से, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी का आवेदन करते समय दबाव बढ़ जाएगा, जो सही नहीं है

22

8. *Rules - 2020* में, झूठा आवेदन करने पर सजा का प्रावधान किया गया है,
परन्तु अथॉरिटीज किस आधार पर यह तय करेंगी कि, कोई व्यक्ति झूठा आवेदन कर रहा है।
(उल्लेखनीय है कि *Act - 2019* में, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के लिए झूठा आवेदन करने के लिए सजा निर्दिष्ट नहीं की गई है)

23

24

निश्चित रूप से.....
उपरोक्त आलोचनाएँ ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 और ट्रांसजेंडर नियम 2020 की कमियों को, कमोवेश मात्रा में परिलक्षित करती है

बावजूद इसके.....
यह अधिनियम ट्रांसजेंडर समुदाय के रक्षोपाय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है;
यदि.....

25

यदि.....

1. इस समुदाय के लिए ट्रांसजेंडर अधिनियम को लागू करते हुए, इनके शिक्षा एवं रोजगार को सुनिश्चित किया जाये
2. ट्रांसजेंडर के लिए प्रमाणपत्र प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल एवं भ्रष्टाचारमुक्त बनाया जाये [*The Transgender Persons (Protection of Rights) Rules - 2020* के विशेष संदर्भ में]

26

3. *15 अप्रैल 2014* के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय / निर्देश को, इस अधिनियम में तर्कसंगत तरीके से समायोजित किया जाए
4. इस कानून के पक्ष में जनमत का निर्माण करते हुए, संवेदनशीलता एवं दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ, इसको लागू किया जाये।

तभी इस समुदाय को सशक्त करते हुए, सामाजिक न्याय से युक्त भारतीय समाज की स्थापना की जा सकती है